

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011



हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव

प्रचार-प्रसार (SENSE) हेतु प्लान/कैलेण्डर

वर्ष-2020-21

प्रचार-प्रसार (SENSE) के लिए लक्ष्य

प्रचार-प्रसार (SENSE) के लक्ष्य:- प्रचार-प्रसार के माध्यम से मतदान का प्रतिशत बढ़ाना, मतदान का महत्व समझाना तथा मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रयोग हेतु प्रेरित करना।

1. मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया के बारे में प्रचार-प्रसार द्वारा अवगत कराना।
2. महिला एवं युवा मतदाताओं को मतदान के लिये प्रोत्साहित करना।
3. मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की जानकारी से अवगत कराना।
4. जिन मतदान केन्द्रों पर विगत निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत कम रहा है, उन मतदान केन्द्रों पर मतदान का प्रतिशत बढ़ाये जाने के प्रयास करना।
5. मतदाता सहायता केन्द्रों/जनसेवा केन्द्रों की, वार्ड/मतदान केन्द्र स्तर पर स्थापना।
6. संवदेनशील मतदान केन्द्रों को चिन्हित कर, मतदाताओं को प्रशासन द्वारा की जा रही सुरक्षा व्यवस्था से अवगत कराते हुए, मतदान के अधिकार का उपयोग करने हेतु प्रेरित करना।
7. मतदाताओं को, मतदान के मूल्य तथा लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका के प्रति जागरूक करना।
8. गर्भवती महिला, वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग मतदाताओं द्वारा सुगमता से मतदान किये जाने की प्रक्रिया से अवगत कराना।
9. दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर पहुंचने हेतु की गई व्यवस्था की जानकारी देना।
10. आयोग द्वारा किये गये नवाचारों एवं नियम निर्देशों में हुए संशोधनों से मतदाताओं एवं अभ्यर्थियों को अवगत कराना।
11. कोविड-19 के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अधिक से अधिक मतदान की अपील करना।

प्रचार-प्रसार (SENSE) का संभावित कैलेण्डर

(सेंस के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली सभी गतिविधियों, शासन एवं आयोग द्वारा कोरोना संक्रमण (ब्वअपक 19) से बचाव हेतु जारी किये गये दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करते हुए संपादित करायी जायेंगी)

क्र.	प्रस्तावित गतिविधि	कार्य संपादन स्तर	कार्य विवरण	समयावधि
1.	E.V.M. का प्रदर्शन एवं संचालन की जानकारी	नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में	दल गठन कर सार्वजनिक स्थानों, जिला/विकासखंड/नगरीय निकाय की साधारण सभ्जी की बैठकों, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों, पंचायत/नगरपालिका कार्यालयों, हाट-बाजारों आंगनवाडी केन्द्रों पर	नवंबर 2020 के अंतिम सप्ताह से
2.	स्थानीय निर्वाचन विषय पर वाद विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता	नगरीय निकायों एवं पंचायतों में	चिन्हित शासकीय/ अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय में	नवम्बर, 2020 के अंतिम सप्ताह में
3.	(अ)- वर्ष 2014 में कम वोटिंग प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों का आंकलन कर, वहां के मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करना	नगरीय निकायों एवं पंचायतों में	निकाय एवं जनपद पंचायत स्तर पर दल गठित कर	नवंबर 2020 के अंतिम सप्ताह
4.	(ब)- नयी बसाहट, दिव्यांग मतदाता, दूरस्थ एवं बिखरे क्षेत्रों के मतदाताओं का आंकलन कर, मतदान के लिये प्रेरित करना	नगरीय निकायों एवं पंचायतों में	निकाय एवं जनपद पंचायत स्तर पर दल गठित कर	नवंबर 2020 के अंतिम सप्ताह से
5	स्थानीय निकाय निर्वाचन विषय पर युवा संवाद कार्यक्रम	समस्त विकासखण्ड एवं नगरीय निकायों में	चिन्हित शासकीय/ अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय	नवम्बर, 2020 के अंतिम सप्ताह से

क्र.	प्रस्तावित गतिविधि	कार्य संपादन स्तर	कार्य विवरण	समयावधि
6.	शासकीय विभागों, मीडिया एवं अन्य प्रचार माध्यमों की बैठकें एवं दायित्वों का निर्धारण	जिला स्तर पर	नोडल अधिकारियों के माध्यम से	नवम्बर, 2020 के अंतिम सप्ताह से
7.	मतदाता जागरूकता हेतु दलों का चयन	नगरीय निकायों एवं पंचायतों में	स्थानीय स्वयंसेवी संस्था (NGO) समाज के गैर राजनैतिक व्यक्ति, व्यापारी वर्ग, स्व-सहायता समूह, परिसर दूत, (Campus Ambassador) रंगकर्मी, कलाकारों, गायकों, NCC, NSS का चिन्हांकन कर उनके सहयोग से	नवंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में
	मतदातन की प्रक्रिया की जानकारी देने एवं मतदान की अपील हेतु मतदाताओं से गृह सम्पर्क, संकल्प-पत्र पर हस्ताक्षर अभियान	समस्त नगरीय निकाय के वार्डों एवं ग्राम पंचायत में	निकाय एवं जनपद पंचायत स्तर पर दल गठित कर	दिसम्बर, 2020 के प्रथम सप्ताह में
8.	नुक्कड़ नाटक	कम मतदान प्रतिशत वाले ग्राम एवं वार्डों में	स्थानीय कलाकारों एवं N.G.O. के माध्यम से	दिसम्बर, 2020 के प्रथम सप्ताह में
9	मतदान जागरूकता स्टॉल	हाट-बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर	निकाय एवं जनपद पंचायत स्तर पर दल गठित कर	दिसम्बर, 2020 के प्रथम सप्ताह से
10	मतदाता जागरूकता कार्यक्रम	नगरीय निकाय एवं पंचायत स्तर	स्थानीय व्यापारी वर्ग, सिविल सोसायटी संगठनों, रोटरी क्लब, कालोनाईजर, आवसीय परिसर, रहवासी कल्याण संघ, सांस्कृतिक संस्थाएं, मेला समितियों, उत्सव समितियों आदि को उनकी गतिविधियों के साथ मतदाता जागरूकता के लिए सहयोग प्राप्त करना।	दिसम्बर, 2020 के प्रथम सप्ताह से

क्र.	प्रस्तावित गतिविधि	कार्य संपादन स्तर	कार्य विवरण	समयावधि
11	मतदाताओं को ई.व्ही.एम. और निर्वाचन के महत्व की जानकारी का प्रदाय	नगरीय निकाय एवं पंचायत स्तर	स्थानीय स्तर पर निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यवसायी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स वरिष्ठ नागरिक, व अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को आमंत्रित कर ई. व्ही.एम. और निर्वाचन के महत्व की जानकारी मतदाता जागरूकता हेतु प्रदाय कराना।	दिसम्बर, 2020 के प्रथम सप्ताह से
12	मतदान थीम पर मतदाता जागरूकता हेतु रंगोली, मेहंदी, लोकगीत, लोकनृत्य, भाषण, चित्रकला, स्लोगन, लेखन, सायकल रैली इत्यादि प्रतियोगिताएँ	नगरीय निकाय एवं पंचायत स्तर	निकाय एवं जनपद पंचायत स्तर पर दल गठित कर	दिसम्बर, 20 के प्रथम सप्ताह में
13	राजनैतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठकों का आयोजन कर आयोग द्वारा किये गये नवाचार एवं नियम निर्देशों में हुए संशोधन की जानकारी का प्रदाय	जिला स्तर पर	जिला स्तर अधिकारियों द्वारा	दिसम्बर, 20 के प्रथम सप्ताह में
14	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं अनुसूचित व्यवसायिक बैंक की मतदाता जागरूकता में सहभागिता सुनिश्चित कराना	नगरीय निकाय एवं पंचायत स्तर	सम्बन्धित उपक्रमों, प्रतिष्ठानों एवं अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों के सहयोग से	दिसम्बर, 20 के प्रथम सप्ताह में

क्र.	प्रस्तावित गतिविधि	कार्य संपादन स्तर	कार्य विवरण	समयावधि
15	कोविड-19 के अंतर्गत प्रसारित दिशा निर्देशों के पालन हेतु जागरूकता।	नगरीय निकाय एवं पंचायत स्तर पर	मतदान केन्द्रवार गठित जागरूकता दल,	दिसम्बर, 20 के प्रथम सप्ताह
16	अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र Online जमा करने हेतु प्रचार-प्रसार एवं मतदान की तिथियों की जानकारी	निकाय निकाय एवं जनपद पंचायत स्तर पर	समाचार पत्र, रेडियो, स्थानीय केबल नेटवर्क, सोशल मिडिया,	निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात
17	“चुनाव” मोबाइल एप एवं उसकी उपयोगिता के संबंध में प्रचार-प्रसार	नगरीय निकाय एवं पंचायत स्तर	समाचार पत्र, रेडियो, स्थानीय केबल नेटवर्क, सोशल मिडिया, द्वारा	निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात
18	आयोग द्वारा किये गये नवाचारों एवं नियम निर्देशों में हुए संशोधनों से मतदाताओं एवं अभ्यर्थियों को अवगत कराना	नगरीय निकाय एवं पंचायत स्तर	निकाय एवं जनपद पंचायत स्तर पर दल गठित कर	निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात
19	दिव्यांग मतदाता, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधाओं की जानकारी का प्रचार	नगरीय निकाय एवं पंचायत स्तर	समाचार पत्र, आकाशवाणी, रेडियो, स्थानीय केबल नेटवर्क, सोशल मिडिया, द्वारा	निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात
20	मतदाताओं की सहायता एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु मतदाता सहायता केन्द्रों की स्थापना	नगरीय निकाय एवं पंचायत स्तर	निकाय एवं जनपद पंचायत स्तर पर दल गठित कर	निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात
21	कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील के पोस्टर का प्रदर्शन	नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायत के समस्त मतदान केंद्रों पर	आयोग द्वारा निर्धारित नमूने के अनुसार स्थानीय स्तर पर प्रिंट कराकर प्रदर्शित	निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात्

क्र.	प्रस्तावित गतिविधि	कार्य संपादन स्तर	कार्य विवरण	समयावधि
22	आओ अपना बूथ सजाये	समस्त मतदान केन्द्र	निकाय एवं जनपद पंचायत स्थानीय स्तर पर दल गठित कर	मतदान दिवस के एक दिन पूर्व
23	अभिलेखीकरण	जिला स्तरीय स्थानीय निर्वाचन कार्यालय	समय-समय पर की जा रही मतदाता जागरूकता गतिविधियों की जानकारी का अभिलेख, पेपर कटिंग, फोटो, इत्यादि का जिला स्तरीय एकीकरण कर आयोग को भेजा जाना	निर्वाचन की समस्त गतिविधियों के दौरान

